पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 29.7.22 को पेश हो।

9.7.22 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखाया जा सका। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 5.8.22 को पेश हो।

5.8.22 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A के तहत अपनी खातेदारी आराजी नं. 3206 रकबा 02 बीघा भूमि ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर तहसील माण्डल में स्थित है, उक्त भूमि में आवागमन एवं कृषि यन्त्र व कृषि उपज लाने ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी नं. 3204 रकबा 09 बिस्वा भूमि में से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जाने की इस्तदुआ की। अब कि विपक्षी अधिवक्ता ने अपने जवाब मे बताया गया कि आराजी नं 3204 मे प्रार्थी की पत्नी श्रीमती तुलसी पत्नी बंशीलाल माली के हक हिस्से पर लोहे की फाटक लगी हुई है, प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहा है, अत: प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जावे। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया, एंव तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी न. 3206 मे आने जाने हेतु आराजी नं. 3204 की उत्तरी दिशा मे लोहे की फाटक बनी हुई जिनसे आ-जा रहे है एंव आराजी न. 3204 जिसमे प्रार्थी की पत्नी श्रीमती तुलसी देवी पत्नी बंशीलाल माली के भाग पर सयुंक्त खातेदारी है, वर्तमान मे रास्ता चालू है एंव पूर्व मे ही रास्ता होने से। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251-A रा०का० अधिनियम खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा